262

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 1784 - I - 16

'प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

1. मनीराम पुत्र काशीराम
2. श्रीकृष्ण पुत्र भोगीराम

निवासीगण – ग्राम खेजडाहाली तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदगकण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र श्री नवल किशोर निवासी– खेजडाहाली तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
2. नर्वदा पुत्र गेंदा निवासी खेजडाहाली तहसील सिरेांज जिला विदिशा
3. गनेशराम पुत्र टीकाराम निवासी वार्ड नं. 5 लटेरी जिला विदिशा
4. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरेांज जिला विदिश द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/ अपील/ 2004– 05 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2005 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से समयावधि में प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारेां पर प्रस्तुत है:–

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1784-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 21-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	